न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – रतनलाल रेगर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या – 412/2007

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

1. सराय औसियां प्राईवेट लि. जरिये प्रबन्धक श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी उम्मेद हेरिटेज, डिफेन्स लेब रोड़ मकान नम्बर 366, जोधपुर।

बनाम

1. माधुसिंह पुत्र कोजसिंह
2. जगनाथ सिंह पुत्र कोजसिंह
3. गोपाल सिंह पुत्र हड़मान सिंह
4. ओमसिंह पुत्र हड़मान सिंह
5. पर्वत सिंह पुत्र हड़मान सिंह
6. निर्मला पुत्री हड़मान सिंह
7. श्रवण कंवर पुत्री हड़मान सिंह
8. सुनिता पुत्री चम्पा
9. चन्दु पुत्री चम्पा
10. रेटू पुत्र चम्पा
    नाबालिग के वली पिता देवीसिंह जाति पुरोहित निवासी प्रतापनगर, ओसियां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क), आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति –
प्रार्थी वकील – श्री चन्दन सिंह भाटी
अप्रार्थी वकील – श्री चुनाराम गर्ग

दिनांक – 29/1/19

–:: निर्णय ::–

1. इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है तहसील ओसियां के ग्राम प्रतापनगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 945 रकबा 100 बीघा 12 बिस्वा में से 22 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। चालू जमाबंदी की नकल साथ में पेश है तथा नजरी नक्शा साथ में पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे।

2. प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री चुनाराम गर्ग द्वारा वकालत नामा पेश किया गया । शेष अप्रार्थीगण की और से कोई पेश नही हुआ। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई। हल्का आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner

3. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की तरफ से प्रार्थना पत्र का एकबाली जबाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सही होना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण संख्या 03 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से कोई जबाब पेश नही हुआ और नही कोई बावजूद तामील हाजिर हुआ है।

4. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया एवम् पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व हल्का आर.आई. की मौका रिपोर्ट का परीक्षण व परीशीलन किया। आर.आई. ने अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 946 में मार्क बी से सी वादगस्त रास्ता चालु होना व ग्रेवल सड़क बनी होना बताया है तथा दोनों तरफ खुटें रोपकर तारबंदी की गई होना बताया है। यह भी बताया है कि इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए दूसरा कोई वैकाल्पिक रास्ता नही है तथा लघुतम रास्ता यही है। वादग्रस्त रास्ता मार्क बी से सी चार गटे चौड़ा व 75 गटा लम्बा है। इस प्रकार से उक्त आर.आई. रिपोर्ट से यह पूर्ण रूप से साबित है कि वादग्रस्त भूमि में मार्क बी से सी तथा प्रार्थी के नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता मार्क ए से बी चार गटा चौड़ा रास्ता चल रहा है तथा ग्रेवल सड़क भी बनी हुई है जो लघुतम राजस्व रेकर्ड व आर.आई. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नजरी नक्शे में ए से बी व आर.आई. की रिपोर्ट के नक्शे में दर्शाया गया बी से सी विद्यमान चार गटा चौड़ा व 75 गटा लम्बा रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रतापनगर के खसरा नम्बर 946 रकबा 49 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थी के नजरी नक्शे व आर.आई. की मौका रिपोर्ट के नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया वादग्रस्त रास्ता चार गटा चौड़ा व 75 गटा लम्बा घोषित किया जाकर रास्ते की भूमि का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर से दो गुना राशि प्रार्थी से जमा करवाई जाकर अप्रार्थीगण को दिलाई जावे तथा नियमानुसार वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। इस आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(रतनलाल ...गर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर ओसियां

आदेश आज दिनांक 29/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner